समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 14-11-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा	अवकाश में।
2.	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	विभागीय बैठक में भाग लेने पटना गये।
3.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	विभागीय बैठक में भाग लेने पटना गये।
4.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
5.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा	विभागीय बैठक में भाग लेने पटना गये।
6.	सहायक अवर प्र0 पदा0, बी0एस0एन0 एल0, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
7.	जिला अवर निबंधक, मधेपुरा	अवकाश में।
8.	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
9.	कार्यपालक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
10.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।
11.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
12.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	अवकाश में।
13.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	विभागीय कार्य से पटना गये।
14.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	अवकाश में।
15.	अंचलाधिकारी, कुमारखंड	अवकाश में।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का 'निश्चय यात्रा' कार्यक्रम संभावित है, फलस्वरूप सभी विभागों को विहित प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदन संकलित कर दिनांक 21-11-2016 के पूर्व जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय यात्रा के संबंध में विभागवार निम्न प्रकार विस्तार से समीक्षा किया गया :-

(1) आर्थिक हल, युवाओं को बल (शिक्षा /योजना /श्रम संसाधन विभाग) :-

जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि डी0आर0सी0सी0 अन्तर्गत कितने आर्थिक हल, युवाओं को बल, बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत् आवेदन प्राप्त किये गये एवं निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करें तथा नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

समीक्षा के क्रम बताया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा अवकाश में है, फलस्वरूप वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर को वित्तीय शक्ति के साथ प्रभार देने संबंधी आदेश पत्र निर्गत करने का निदेश जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को दिया गया।

समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भ्रमण कार्यक्रम नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थल पर हो सकता है, फलस्वरूप प्रखण्ड कार्यालय, मधेपुरा के परिसर में अवस्थित पार्क का जीर्णोद्धार /मरम्मति आदि जिला परिषद्, जिला अभियंता, मधेपुरा के स्तर से किया जाना है। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त पार्क का मेनटेनेंस /रंगाई-पोताई आदि नियमानुसार अविलम्ब सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि मनरेगा भवन, मधेपुरा का रंगाई-पोताई आदि का कार्य ससमय सुनिश्चित करें।

(क) आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर आवश्यक व्यवस्था :-

समीक्षा के क्रम में अंचलाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि मधेपुरा अंचल के आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर सभी आवश्यक मूल-भूत सुविधा हेतु अविलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि तीनों लोक शिकायत निवारण कार्यालय के आर0टी0पी0एस0 काउन्टर को भी मॉडल आर0टी0पी0एस0 काउन्टर के रूप में बनाना सुनिश्चित करें। इसके लिए कुर्सी, टेबुल आदि की व्यवस्था नियमानुसार करें। इसके अतिरिक्त इन काउन्टरों पर शिकायत लेखन की भी व्यवस्था की जाए, ताकि अशिक्षित व्यक्तियों का फॉर्म /आवेदन आदि को भरने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी आर0टी0पी0एस0 काउन्टर को फेसिलिटेशन सेन्टर बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसी काउन्टर से माननीय मुख्यमंत्री, बिहार 7 निश्चय से संबंधित स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता आदि हेतु आवेदन भरवाया जा सके। सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपना-अपना फसिलिटेशन सेन्टर का उद्घाटन करते हुए प्रेस में इसकी सूचना दी जाए, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके।

(ख) अनुमण्डल कार्यालय, मधेपुरा :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अनुमण्डल कार्यालय, मधेपुरा के तरफ जाने वाली सड़क की मरम्मति, कार्यालय का रंगाई-पोताई, कार्यालय परिसर में वाहनों का पार्किंग आदि को समुचित तरीके से किये जाने की आवश्यकता है, फलस्वरूप अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त कार्य नियमानुसार अविलम्ब करावें।

(ग) नगर परिषद्, मधेपुरा :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये हैं। अतएव निदेश दिया जाता है कि नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत पर्याप्त मात्रा में साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(घ) लोक शिकायत निवारण :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लोक शिकायत निवारण की तिथि निर्धारित थी, जिसमें अंचलाधिकारी, आलमनगर उपस्थित नहीं हो सके। निदेश दिया गया कि स्पष्टीकरण पूछा जाए। जिलाधिकारी द्वारा दोनों अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि किसी कर्मी को चिन्हित कर लें तथा उनके नाम /मोबाईल प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि उनके मोबाईल में कम से कम 200/- रू0 का एस0एम0एस0 पैक डलवा दिया जाए, जिससे शिकायतकर्त्ता, परिवादी तथा लोक प्राधिकार पदाधिकारी को एस0एम0एस0 के माध्यम से ससमय सूचना दिया जा सके। इसके लिए प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस आशय का आदेश पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्गत किया जाए।

समीक्षा के क्रम में अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि आवंटन उपलब्ध नहीं हो सका है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब अधियाचना जिला नजारत कार्यालय में भेंजे। जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि तत्काल नियमानुसार अग्रिम राशि उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें, तत्पश्चात् बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, पटना से इस मद में राशि प्राप्त होने पर इसका प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि लोक शिकायत निवारण के तहत आदेश पारित किया गया है, जिसमें विद्युत-35, साक्षरता-01, शिक्षा-01, अग्रणी बैंक प्रबंधक-04, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल-03, कल्याण-06, स्वास्थ्य-02, आई0सी0डी0एस0-01 आदि विभाग है, अतएव सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा आगामी सोमवारीय बैठक के पूर्व निवारण करना सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) आर0टी0पी0एस0 की वसूली राशि :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अंचलाधिकारी, मुरलीगंज के यहां 34,250/- रू0 का जुर्माना की राशि वसूलनीय हेतु अवशेष बची हुई है। जबकि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर के यहां भी जुर्माना की राशि बची हुई है। संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत दिनों में अंचल कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में कुछ अवैध /बिचौलिया व्यक्तियों को सबूत के साथ पकड़ा गया था, जिसें अंचलाधिकारी, मुरलीगंज को अग्रेतर कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया गया था, परन्तु ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि अंचलाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा उक्त व्यक्ति के विरूद्ध बिना कोई कार्रवाई किए तथा उन्हें भगा दिया गया, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अंचलाधिकारी, मुरलीगंज के विरूद्ध प्रपत्र-'क' गठित करने की दिशा में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(च) कौशल विकास केन्द्र :-

जिलाधिकारी द्वारा सभी कौशल विकास केन्द्र के संचालन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभागीय सचिव महोदय द्वारा दूरभाष पर यह सूचना दी गयी है कि शंकरपुर अंचल में पूर्ण कौशल विकास केन्द्र के संचालन हेतु कोई भी एजेंसी तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उक्त केन्द्र अंचल कार्यालय परिसर से काफी दूर है। जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में खेद प्रकट किया गया एवं अंचलाधिकारी, शंकरपुर से पृच्छा की गयी कि जब उक्त केन्द्र को अंचल परिसर में ही बनाये जाने का निदेश पूर्व में दिया गया था, तो

केन्द्र अंचल परिसर से इतनी दूर क्यों बनाया गया, तो इस संबंध में उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा सका। निदेश दिया गया कि अविलम्ब इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(2) विद्युत आपूर्ति / परियोजना :-

(क) परियोजना :- सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि मुख्यमंत्री निश्चय यात्रा से संबंधित हर घर बिजली लगातार की क्या स्थिति है। सभी गांवों में शत-प्रतिशत विद्युत बहाल सुनिश्चित करा दिया गया है अथवा नहीं। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि 233 गांव में से 190 गांव में सभी कार्य पूर्ण करा दिया गया है, जबकि 43 गांव में कार्य कराने हेतु अवशेष बचा हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया कि पूर्व के बैठक में ही यह प्रतिवेदित किया गया था कि कुल 197 गांव में कार्य पूर्ण करा दिया गया है, जबकि आज की बैठक में मात्र 190 गांव में कार्य पूर्ण होने की सूचना दी जा रही है, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी गांवों में 31-12-2016 तक बिजली का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है। अतएव निदेश दिया गया कि अविलम्ब ससमय पूर्ण कराकर कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को हस्तांतरित करें, ताकि उनके द्वारा मेनटेनेंस आदि का कार्य किया जा सके।

कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 36 गांव में से 6 गांव में इंटरनल कार्य चल रहा है, बांकि गांव में पोल उपलब्ध हो गया है। निदेश दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के पूर्व ही सभी कार्य शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें।

(2) बी0पी0एल0 कनेक्शन :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 01 लाख 80 हजार परिवारों को बी0पी0एल0 कनेक्शन दिया जाना है। जिसमें लगभग 52000 इन्स्टॉल किया गया है तथा 41000 बिलिंग साइकिल में किया गया है। निदेश दिया गया कि दो दिनों के अंदर शत-प्रतिशत इन्स्टॉल करना सुनिश्चित करें।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि ए0पी0एल0 कनेक्शन हेतु कार्यादेश निर्गत हो गया है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।

(3) विद्युत आपूर्ति की स्थिति :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया किं विगत एक सप्ताह से शहरी क्षेत्र में लगातार ज्यादा से ज्यादा विद्युत आपूर्ति शाम के समय में ही काटी जा रही है। बताया गया कि विगत एक सप्ताह यथा- दिनांक 10-11-2016 को 2 घंटा, 11-11-2016 को 45 मिनट, 12-11-2016 को 3 घंटा एवं दिनांक 13-11-2016 को 1 घंटा 35 मिनट बिजली काट दी गयी है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कुछ जगह ट्रांसफार्मर बदले जा रहे थे तथा जम्फर आदि के टूटने के कारण विद्युत बहाल सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। निदेश दिया गया कि लोड मेनेजमेन्ट बनाकर रखें, ताकि संध्या में बिजली नहीं काटा जा सके।

(4) विद्युत कार्यालय का नया भवन :- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग का नया भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ है, परन्तु एजेंसी द्वारा कार्य में काफी शिथिलता बरती जा रही है। निदेश दिया गया कि संबंधित एजेंसी को बैठक में बुलावें, ताकि उन्हें निदेशित किया जा सके कि कार्य ससमय पूर्ण करावें।

(3) घर तक पक्की गली नालियाँ :-

(क) वार्ड समिति का गठन :- समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से पृच्छा की गयी कि उनके प्रखण्डान्तर्गत वार्ड समिति का गठन हो गया है अथवा नहीं, तो सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके यहां वार्ड समिति का

गठन हो गया है। दोनों अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से भी इसकी समीक्षा की जाए।

(ख) मनरेगा भवन :- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि सभी योजनाओं का प्राक्कलन तैयार करा दिया गया है अथवा नहीं, तो इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। निदेश दिया गया कि दिनांक 15-10-2016 को 10:00 बजे पूर्वा0 में सभी कनीय अभियंता, मनरेगा को बुलाकर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से समीक्षा बैठक आयोजित करायी जाए।

(ग) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन :- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि नाली-गली-पक्की सड़क से संबंधित पावर प्वाइंट हेतु प्रतिवेदन अविलम्ब आई0टी0 मैनेजर को उपलब्ध करावें। आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि पावर प्वाइंट प्रजेंनटेशन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(घ) शौचालय निर्माण :- जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मधेपुरा प्रखण्ड के सुखासन पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं0-07 में कुल 133 परिवार को शौचालय बनाने हेतु समीक्षा बैठक की गयी है। वार्ड नं0-01, 02, 05 एवं 07 में 30 तारीख तक शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो जायेगा। निदेश दिया गया कि ससमय शौचालय निर्माण पूर्ण करावें।

(4) स्वास्थ्य :-

(क) ए0एन0एम0 /जी0एन0एम0 स्कूल :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला स्तर पर पारा मेडिकल संस्थान, मधेपुरा, अनुमण्डल स्तर पर एन0एन0एम0 स्कूल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज का निर्माण हेतु भूमि को चिन्हित कर लिया गया है तथा इस संबंध में आदेश निर्गत किया गया है एवं उक्त पत्र की प्रति बी0एम0एस0आई0सी0एल0 तथा स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु दी गयी है, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उक्त जमीन का शिलान्यास कराया जा सके।

(ख) एम्बुलेंस :- सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में एम्बुलेंस का संचालन प्रभावित नहीं हो, इसे हरहाल में सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्था नियमानुसार करें।

(ग) नशा मुक्ति केन्द्र :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदर अस्पताल, मधेपुरा स्थित नशा मुक्ति केन्द्र के निरीक्षण हेतु भी जा सकते हैं, अतएव सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त केन्द्र में सभी आवश्यक सुविधा ससमय उपलब्ध करावें।

(5) आई0टी0आई0 कॉलेज, मधेपुरा :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वर्तमान में +2 उच्चतर विद्यालय, सबैला में आई0टी0आई0 कॉलेज के संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(6) आई0टी0आई0 कॉलेज, उदाकिशुनगंज :-

समीक्षा के क्रम में पृच्छा की गयी कि आई0टी0आई0 कॉलेज, उदाकिशुनगंज में फर्नीचर के क्रय हेतु आवंटन प्राप्त हुआ है अथवा नहीं, इस संबंध में श्रम अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में ही दूरभाष पर विभागीय पदाधिकारी से उक्त मद में आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

(7) इंजिनियरिंग कॉलेज, मधेपुरा :-

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता /सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अविलम्ब एडमेक से सम्पर्क स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित करें।

(8) जीविका :-

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा डी0पी0एम0, जीविका से पृच्छा किया गया कि अब तक कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है तथा प्रतिवेदन की क्या स्थिति है, तो इस संबंध में बताया गया कि 1043 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि किस विद्यालय का निरीक्षण हुआ। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि विद्यालय निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं पर जांच की जाए एवं प्रत्येक शनिवार की संध्या में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया जाए :-

क्र0	विद्यालय का नाम	कुल छात्रों की सं0	कुल उपस्थित छात्रों की सं0	अनुपस्थित छात्रों की सं0	कुल शिक्षकों की सं0	उपस्थित शिक्षकों की सं0	अनुपस्थित शिक्षकों की सं0 नाम सहित	मध्याहन भोजन बन रहा था कि नहीं (हॉ /नहीं)	कितने बचे विद्यालय खुला	कितने बजे विद्यालय बंद हुआ	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इसके अतिरिक्त विद्यालयों की जांच करने संबंधी अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं संबंधी सूची डी0पी0एम0, जीविका को उपलब्ध करा दी जाए, ताकि जीविका के दीदीयों द्वारा इसके आलोक में जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जा सके।

(9) समाज कल्याण विभाग :-

समीक्षा के क्रम में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कुल 91,000 पेंशनधारियों में से 45,800 का इन्ट्री अपडेट हो गया है, जबकि 80,000 का खाता के साथ है, जिसमें 13,957 खाता गलत है। यह भी बताया गया कि 56,000 लाभुकों का खाता लॉक हुआ है तथा 6000 का खाता लॉक नहीं है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आगामी सोमवारीय बैठक के पूर्व नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि आलमनगर में 4086 तथा मुरलीगंज में 6600 में 3700 लॉक हुआ है। सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अगले सोमवारीय बैठक के पूर्व शत-प्रतिशत खाता लॉक करने का निदेश दिया गया।

(10) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग :-

जिलाधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास की समीक्षा की गयी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निविदा की तिथि 26-11-2016 निर्धारित है, तत्पश्चात् नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही छात्रवृति हेतु अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है।

जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय यात्रा से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार कर हार्ड /सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 21-11-2016 के पूर्व अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(11) एस0एफ0सी0 :-

जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 709 एस0आई0ओ0 का डिस्पेच हो गया है, जबकि 400 बांकी है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि एस0एफ0सी0

के द्वारा पत्र भेजा गया है, जिसके आलोक में जवाब तैयार कर अविलम्ब पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व माह नवम्बर, 2016 का खाद्यान्न शत–प्रतिशत वितरण हो जाना चाहिए।

यह भी बताया गया कि मधेपुरा गोदाम से उठाव की स्थिति संतोषजनक नहीं है, अतएव मोटरयान निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वाहनों की जांच करें एवं प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

(12) कृषि :–

जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा से डीजल वितरण अनुदान की समीक्षा की गयी। बताया गया कि चौसा में 9 लाख रू0 दिया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आलमनगर में किसान सलाहकार द्वारा उक्त कार्य में कोई अभिरूची नहीं लिया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी से यह भी पृच्छा की गयी कि उन्हें कितना आवंटन दिया गया तथा कितना वितरण हुआ है, तो इस संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका, जिस पर खेद प्रकट किया गया। प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा से स्पष्टीकरण पूछा जाए कि बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी इस संबंध में अपेक्षित प्रगति क्यों नहीं लायी जा रही है।

जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि कैम्प लगाकर नियमानुसार वितरण करावें। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि यदि राशि व्यय हेतु नहीं है, तो अविलम्ब नियमानुसार प्रत्यार्पित करना सुनिश्चित करें।

(13) पशुपालन :–

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पशुपालन से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें अपेक्षित प्रगति नहीं है। निदेश दिया गया कि अपेक्षित प्रगति लायी जाए।

(14) गव्य विकास :–

जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक लाभुकों को नियमानुसार लाभ दिया जाए।

(15) योजना :–

जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि प्राक्कलन तैयार कर 24 घंटा के अंदर उपलब्ध करावें।

यह भी निदेश दिया गया कि जिलान्तर्गत जितने भी मंदिर हैं, उन सभी का चहारदिवारी कराने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया है। अतएव दोनों अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी मंदिरों की जांच की जाए तथा प्राथमिकता सूची तैयार कर ली जाए, ताकि उनके चहारदिवारी हेतु नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

(16) पथ प्रमण्डल, मधेपुरा :–

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि बिहारीगंज तथा खुरहान–रतवारा में सड़क की मरम्मति का कार्य चल रहा है। निदेश दिया गया कि ससमय कार्य पूर्ण करावें।

(17) ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज :–

मुख्यमंत्री सेतु योजना :– समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 02 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। समाहरणालय अन्तर्गत भागलपुरिया सड़क में पुल निर्माण कार्य में अतिक्रमण के कारण समस्या उत्पन्न हो रहा

है। अंचलाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जांच-पड़ताल कर अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल को निदेश दिया गया कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत राज्य के सभी बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ना, एम0एम0 जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत राज्य के सभी बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ना तथा ग्राम टोला सम्पर्क निश्चय योजना के अन्तर्गत 100 से अधिक आबादी वाले सभी बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में विभाग द्वारा निर्गत सभी पत्र अर्थात विगत एक साल का सभी पत्रों को निकाल कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित की जाए, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

(18) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, मधेपुरा :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि ग्वालपाड़ा एन0एच0 सड़क में कुछ-कुछ जगहों पर काफी गड्डा बन गया है, जिसकी मरम्मति किया जाना आवश्यक है। निदेश दिया गया कि नियमानुसार मरमति की जाए।

इसी प्रकार एन0एच0 106 की समीक्षा की गयी एवं निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि एन0एच0 107 में कुछ समस्या उत्पन्न हुआ है, अवार्ड घोषित नहीं हुआ है, परन्तु आवार्ड की मांग की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(19) बंदोवस्त :-

जिलाधिकारी द्वारा अमीन की बहाली के संबंध में पृच्छा किया गया। बताया गया कि 58 आदमी का मोबाईल नम्बर है, जिसे सूचना देने की कार्रवाई की जा रही है अन्य किसी भी अमीन अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर नहीं है। निदेश दिया गया कि सभी को दो दिनों के अंदर सूचना दिया जाए, इस हेतु नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करें तथा एक सप्ताह के अंदर नियमानुसार अमीन की बहाली की कार्रवाई की जाए।

(20) एस0एच0-91 :-

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि भूमि अधिग्रहण का मामला है, जो अभी तक विभागीय स्तर पर इसकी स्वीकृति नहीं हुई है। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में ही विभागीय पदाधिकारी से दूरभाष पर वार्ता की गयी एवं अनुरोध किया गया कि अविलम्ब स्वीकृति दी जाए।

(21) अन्यान्य :-

जिलाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अपने-अपने कार्यालयों का रंगाई-पोताई /मरम्मति आदि नियमानुसार अविलम्ब कराया जाए।

समीक्षा के क्रम में जिला समन्वयक, स्वच्छता भारत मिशन द्वारा बताया गया कि पी0एच0ई0डी0 द्वारा अभी तक पूर्व का 659 निर्मित शौचालयों का भुगतान नहीं किया गया है। संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

आशुलिपिक जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	जिलाधिकारी मधेपुरा।

ज्ञापांक 2759 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 15.11.16

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /डी0पी0एम0, जीविका, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /डी0आई0ओ0, मधेपुरा /सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एम0डी0एम0, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, एन0एच0 प्रमण्डल, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर एवं लघु जल संसाधन, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा /सहरसा /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ravi 15/11/16	15/11/16	15/11/16
आशुलिपिक	प्रभारी पदाधिकारी	जिलाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	**जिला गोपनीय** शाखा, मधेपुरा।	मधेपुरा।

Khalid 15/11/16